# <u>न्यायालय:—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

# <u>फाइलिंग नंबर-235103001712013</u> <u>व्यवहार वाद कं.-91ए/2016</u> संस्थापित दिनांक-24.01.2013

1.आलोक कुमार तिवारी पुत्र आनंद कुमार तिवारी जाति ब्राह्मण धंधा खेती
2.नीलेंद्र कुमार तिवारी पुत्र आनंद कुमार तिवारी आयु 40 साल जाति ब्राह्मण धंधा खेती
निवासीगण मोहल्ला रास की गली चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

विरुद्ध
1.रामदास नामदेव पुत्र रत्तीलाल नामदेव आयु 62 साल जाति नामदेव धंधा पेंशनर निवासी कांच मंदिर के पास मुंगावली रोड चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.।

.....प्रतिवादी

2.म.प्र. राज्य द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला अशोकनगर म.प्र.।

..... फोरमल प्रतिवादी

वादीगण द्वारा श्री पठान अधिवक्ता। प्रतिवादी द्वारा श्री मिर्जा अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय।

-// निर्णय//-(आज दिनांक 12.04.2017 को घोषित)

- 01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध ग्राम रामनगर तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 282 रकवा 6.710 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 283 रकवा 0. 523 हेक्टेयर (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व ६ गोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।
- 02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त 03. विवादित भूमि वादीगण के स्वामित्व तथा आधिपत्य की है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 ने दिनांक 18.07.12 को ग्राम रामनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 500 / 6 रकवा 2 हैक्टेयर नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव से क्रय की है जो कि नरेंद्र कुमार को शासन द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई थी। वादीगण के अनुसार प्रतिवादी कमांक 01 को उक्त भूमि क्रय करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि नरेंद्र कुमार ने विधि के विपरीत उक्त भूमि का विक्रय किया है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 ने उक्त भूमि का सीमांकन जब कराया तो उसकी भूमि काफी दूर निकली और उसकी भूमि पड़त पड़ी हुई है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 की भूमि अनुपजाउ है और इस कारण वह वादीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं और उनके द्वारा दिनांक 07.01.13 को उनकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और साथ ही उसके साथ मारपीट की गई। वादीगण के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 06.01.13 को पुनः अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया जिसमें वादीगण अपनी भूमि पर आधिपत्यधारी पाए गए तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 की भूमि पृथक-पृथक व दूर-दूर है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादी ने उसकी भूमि पर जबरन कब्जा करने के उददेश्य से एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है और इस कारणवश वादीगण का यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना पड रहा है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं और साथ ही प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त विवादित भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

- 04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादी के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी के अनुसार वादीगण प्रतिवादी की भूमि सर्वे कमांक 500/6 पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादी के अनुसार उसके द्वारा जो भूमि कय की गई है वह सही है तथा उसका नामांतरण भी विधि अनुसार कराया गया है। प्रतिवादी के अनुसार वादीगण की भूमि से प्रतिवादी की भूमि लगी हुई है जिसके बीच में 10 फुट चौडा नाला है तथा वह विकय पत्र निष्पादन दिनांक से अपनी भूमि पर काबिज है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादी द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।
- 05. वादीगण एवं प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :--

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 282 रकवा	"नहीं"
	6.710 एवं सर्वे कमांक 283 रकवा 0.523 स्थित ग्राम	
	रामनगर, तहसील चंदेरी जिसे वादपत्र के साथ	
	संलग्न नक्शे में दर्शित किया गया है, का स्वामित्व व	
	आधिपत्यधारी घोषित करा पाने का अधिकारी है ?	
02.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 वादीगण के आधिपत्य व	"नहीं"
	स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप करने	
	का प्रयास कर रहा है ?	
03.	यदि हो तो क्या वादीगण, प्रतिवादीगण क0 1 के	''नहीं''
	विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायत प्राप्त करने का	
	अधिकारी है ?	
04.	क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त	"हां"
	न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	

05.	सहायता एवं व्यय ?	''निर्णयानुसार
		वादीगण का वाद
		अस्वीकार कर
		स्वयय निरस्त
		किया गया।"

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 आलोक कुमार, वा.सा. 02 इनायत खां, वा.सा. 03 गोविंद, वा.सा. 04 दिलीप दरोगा की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है और साथ ही प्रपी 01 लगायत प्रपी 22 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादी की ओर से प्र.सा. 01 प्रकाश, प्र.सा. 02 रामदास, प्र.सा. 03 ओमकार, प्र.सा. 04 जयसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी की ओर से प्रडी 01 लगायत प्रडी 14 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 04 एवं 05 का निराकरण पृथक—पृथक से किया जा रहा है।

#### -:: वादप्रश्न कं. 01 लगायत 03 ::-

08. वा.सा. 01 आलोक कुमार ने अपने कथन में बताया है कि वह उक्त विवादित भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है जो कि उसके बाबा पुरुषोत्तम नारायण द्वारा उसके तथा उसके भाई के नाम वसीयत करने के कारण उसके पास आ गई तथा उक्त भूमि एक ही स्थान पर है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त भूमि के तीनों ओर शासकीय भूमि है जिसके बाद इनायत खां, कुशवाह, रॉकी अरोरा आदि की भूमियां

हैं। उक्त साक्षी के अनुसार सर्वे क्रमांक 500/6 उसकी भूमि से काफी दूर है जिसे विधिविरुद्ध तरीके से नरेंद्र कुमार ने क्रय किया था। उक्त साक्षी के अनुसार दिनांक 07.01.13 को प्रतिवादी रामदास एवं उसके पुत्र उसकी भूमि पर आए और जबरन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। वा.सा. 01 के अनुसार उसने दिनांक 06.01.13 को उसने अपनी भूमि का सीमांकन कराया था जिसमें यह पाया था कि रामदास की भूमि उसकी भूमि से काफी दूर है। वा.सा. 02 इनायत खां तथा वा.सा. 03 गोविंद ने अपने कथन में बताया है कि वे वादीगण को जानते हैं तथा उन्होंने वादीगण की भूमि देखी है। उक्त साक्षीगण के अनुसार वे वादीगण को उक्त भूमि पर 12 वर्षों से खेती करते देख रहे हैं। वा.सा. 01 के अनुसार दिनांक 07.01.13 को प्रतिवादी व उसके पुत्रगण उसकी भूमि पर फसल उजाडने गए थे जिसके संबंध में उसने नगर निरीक्षक को आवेदन दिया था। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिनांक 09.01.13 को उसने तथा कोमलिया अहिरवार ने भी रिपोर्ट की थी। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके शपथ पत्र में विवादित भूमि से लगभग तीन तरफ शासकीय भूमि होना लिखा है तथा सर्वे क्रमांक 500 / 6 उसके खेत के पास नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार सीमांकन के समय रामदास मौके पर नहीं था।

09. वा.सा. 02 इनायत खां के अनुसार उसके सामने आलोक का रामदास से कभी झगडा नहीं हुआ। उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष भूमि का सीमांकन नहीं हुआ। वा.सा. 03 गोविंद के अनुसार उसके समक्ष वादी की भूमि का सीमांकन हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार वादीगण की जमीन के आसपास उसकी भूमि है। उक्त साक्षी ने भी अपने कथन में बताया है कि वादीगण की जमीन के पास रॉकी अरोरा, अनवर और अजीज की भूमि है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके सामने प्रतिवादी ने वादी के खेत को नहीं उजाडा और न की कभी प्रयास किया। वा.सा. 04 दिलीप दरोगा ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 23.09.13 को चंदेरी में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा उसे प्रकरण में न्यायालय द्व रा किमश्नर बनाकर भेजा गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने वादी—प्रतिवादी को सूचना दी थी तथा मौके पर वादी—प्रतिवादी, पडोसी मौजूद थे। उक्त साक्षी के अनुसार भूमि सर्वे कमांक 282, 283 से सर्वे कमांक 506/2 लगभग 21 जरीब दूर

थी तथा एक जरीब में लगभग 66 फिट आते हैं। उक्त साक्षी के अनुसार 506/2 पहाड की तरफ था और उस पर किसी का कब्जा नहीं था, न ही उस पर वादीगण का कोई कब्जा था। उक्त साक्षी के अनुसार नक्शामौका प्रपी 24 बनाया जाना व्यक्त किया है जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादी रामदास ने मौके पर पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था जिसका उल्लेख उसने प्रपी 24 में करना व्यक्त किया है। वा.सा. 04 के अनुसार उसने किमश्नर रिपोर्ट प्रपी 23 तैयार की थी तथा प्रपी 25 का नक्शा उसके द्वारा तैयार किया जाना व्यक्त किया गया है जिनके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि के बीच में सर्वे कमांक 498 है जो कि शासकीय भूमि है जिसका क्षेत्रफल लगभग 5 से 6 हेक्टेयर होगा। उक्त साक्षी के अनुसार स्थल निरीक्षण के लिए वह न्यायालय के आदेश से गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने जिले से नक्शे की कॉपी मंगाई थी और तब स्थल निरीक्षण किया था तथा उसके अनुसार उसने रामदास को सूचना देने के पत्र की छायाप्रति उसने लगाई है।

10. प्र.सा. 02 रामदास ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा भूमि सर्वे कमांक 500 / 6 नरेंद्र कुमार से दिनांक 18.07.12 को कय की गई है और कब्जा उसने प्राप्त किया है। उक्त साक्षी के अनुसार वादी ने उसकी भूमि पर देक्टर चलवाकर जबरन कब्जा कर लिया है तथा उसने वादी की भूमि पर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि गिरधावर, दिलीप दरोगा और पटवारी मौका देखने गए थे। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सर्वे कमांक 282 एवं 283 वादी की है। प्र.सा. 01 प्रकाश, प्र.सा. 03 ओमकार एवं प्र.सा. 04 जयसिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह प्रतिवादी को जानते हैं। उक्त साक्षीगण के अनुसार प्रतिवादी की भूमि वादी की भूमि से लगी हुई है तथा वादी ने प्रतिवादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। प्र.सा. 03 के अनुसार उसके सामने कोई झगडा नहीं हुआ और न ही उसके सामने कोई कब्जा किया गया। प्र.सा. 04 के अनुसार प्रतिवादी की भूमि के पश्चिम में आम रास्ता, पूर्व में नाला, उत्तर में तालाब तथा दक्षिण में इमलिया की

भूमि है। उक्त साक्षी के अनुसार वादी ने प्रतिवादी की भूमि पर कब्जा कर लिया था, किंतु उसके सामने कभी कोई झगडा नहीं हुआ। प्र.सा. 01 प्रकाश ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वादी एवं प्रतिवादी की भूमि अलग—अलग है तथा बीच में नाला है। उक्त साक्षी के अनुसार भी उसके सामने वादी ने प्रतिवादी की भूमि पर कब्जा कर लिया है।

- वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि उसके स्वत्व की भूमि है जिस पर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर उनके द्वारा कोई कब्जा करने का प्रयास नहीं किया गया है। प्रतिवादी के अनुसार वादी ने उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया है। वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसमें वा.सा. 01 ने स्पष्ट रूप से उक्त विवादित भूमि की चतुरसीमा बताई है। वादी के अनुसार प्रतिवादी की भूमि उसके खेत के पास नहीं है। वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 के अनुसार वादी का उसकी भूमि पर कब्जा है, किंतु उक्त दोनों साक्षीगण ने अपने कथन में बताया है कि उसके सामने वादी एवं प्रतिवादी का कभी कोई झगडा नहीं हुआ। प्रतिवादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि प्र.सा. 01 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी दोनों की भूमि के मध्य नाला है। प्र.सा. 03 एवं प्र.सा. 04 के अनुसार उनके समक्ष कभी कोई झगडा नहीं हुआ। प्र.सा. 02 जो कि स्वयं प्रतिवादी है, ने अपने कथन में इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि का सीमांकन हुआ था। उक्त साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि वादी की भूमि है। वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि उन्हें वसीयत में प्राप्त हुई थी, किंतु उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा ऐसी कोई वसीयत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।
- 12. वादीगण के अनुसार उन्हें उक्त विवादित भूमि में स्वत्व प्राप्त है, किंतु वादीगण ने स्वत्व संबंधी कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी ने उक्त विवादित भूमि के खसरा प्रदर्श पी 14 लगायत प्रपी 20 की प्रमाणित प्रतिलिपियां अभिलेख पर प्रस्तुत की हैं। वादीगण ने उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त

उक्त विवादित भूमि पर स्वत्व संबंधी अन्य कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी ने स्वत्व संबंधी जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं वे मात्र खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज स्वत्व के संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां पर उल्लेखनीय है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि उन्हें वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण होकर प्राप्त हुई थी, किंतु वादीगण द्वारा न तो वसीयतनामा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण द्वारा उनके बाबा पुरुषोत्तम नारायण से संबंधित कोई राजस्व दस्तावेज उक्त विवादित भूमि का अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण ने उक्त विवादित भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा का अनुतोष चाहा है। ऐसी दशा में वादीगण पर यह प्रमाणित करने का भार है कि उक्त विवादित भूमि में उसका स्वत्व निहित है। मात्र इस आधार पर कि प्रपी 23 लगायत प्रपी 25 के दस्तावेज से उसका विवादित भूमि में आधिपत्य प्रमाणित हो रहा है और साथ ही प्रपी 14 लगायत प्रपी 20 के खसरों से भी उक्त विवादित भूमि में वादी का आधिपत्य प्रमाणित हो रहा है, यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि वादी का उक्त विवादित भूमि में स्वत्व निहित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी को भी मात्र खसरों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर किसी भी भूमि में स्वत्व प्राप्त नहीं होते। वादीगण को अन्य दस्तावेजों के माध्यम से यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि उनका विवादित भूमि में स्वत्व निहित है। वादीगण ने जो मौखिक साक्षी वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उक्त साक्षीगण द्वारा मात्र आधिपत्य के संबंध में कथन किया गया है। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से वादीगण का विवादित भूमि में स्वत्व प्रमाणित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार वा.सा. 04 जो कि नायब तहसीलदार है तथा जिसके द्वारा प्रकरण में उक्त विवादित भूमि का सीमांकन किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा न्यायालय के आदेश के पालन में सीमांकन किया गया है तथा उक्त साक्षी की साक्ष्य से मात्र यह प्रमाणित होता है कि वादी के आधिपत्य की भूमि एवं प्रतिवादी के आधिपत्य की भूमि दूर-दूर है। उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि वादीगण का उक्त विवादित भूमि में स्वत्व निहित है। वादीगण की ओर से प्रपी 01 लगायत प्रपी 07 के जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं वे भी उक्त विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में हैं। यद्यपि प्रतिवादी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि वादी की है, किंतु मात्र इस आधार पर कि प्रतिवादी द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि वादीगण का उक्त विवादित भूमि में हित निहित होकर स्वत्व है। इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत मांगीलाल वि० सनवंत एवं अन्य 1988 राजस्व निर्णय 302 अनुकरणीय है। उक्त न्यायदृष्टांत में यह निर्णीत किया गया है कि राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियां किसी भी व्यक्ति को स्वत्व संबंधी कोई हक प्रदान नहीं करती हैं।

14. इस प्रकार वादीगण उक्त विवादित भूमि में अपना स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। जिसके फलस्वरूप यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जहां तक प्रतिवादी द्वारा वादीगण के आधिपत्य की भूमि में हस्तक्षेप करने का प्रश्न है तो इस संबंध में वादी की ओर से वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 की जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उनमें से दोनों साक्षीगण ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि प्रतिवादी द्वारा वादी की आधिपत्य की भूमि में हस्तक्षेप किया जा रहा है। वा.सा. 03 ने तो स्पष्ट रूप से अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि प्रतिवादी ने वादी के खेत को कभी नहीं उजाडा और न ही कभी उजाडने का प्रयास किया। इस प्रकार वादी के अभिवचनों का अनुसमर्थन वादीगण द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से नहीं हो रहा। और इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के आधिपत्य की भूमि में हस्तक्षेप किया जा रहा है। परिणामतः वाद प्रश्न कमांक 01 लगायत 03 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

# -:: <u>वादप्रश्न कं.-04</u> ::-

15. वादीगण ने यह वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत

किया है। वादीगण द्वारा पांच सौ रुपये न्याय शुल्क अदा किया गया है। वादीगण ने वाद का मूल्यांकन दो हजार रुपये किया है। वादीगण ने वाद का मूल्यांकन न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 IV के प्रावधानों के अंतर्गत किया है जो कि सही है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 4 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

## -:: वादप्रश्न कं.-5 ::-

- 16. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।
- 17. वाद का संपूर्ण व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर (ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर